कार्यालय, आयुक्त अनुसूचित जाति विकास
मध्यप्रदेश

E:MAIL ID- comscd@nic.in

म.प्र. शासन के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 15 अगस्त 2003 द्वारा म.प्र. शासन, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग अन्तर्गत अनुसूचित जाति विद्यार्थियों को विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु योजना स्वीकृत की गई है। विदेश में उच्च शिक्षा हेतु अध्ययन के लिए शासनादेश क्र.104/2013/25–5 दिनांक 11.2.2014 द्वारा योजनांतर्गत 50 अभ्यर्थियों के चयन एवं विभाग के आदेश क्रमांक 23–18/2014/25–5 दिनांक 17.12.2014 द्वारा निर्धारित विषयों की स्वीकृति दी गई हैं। अतःउक्त संशोधनों को समाहित करते हुए वर्ष 2018–19 में निम्न उपाधि हेतु छात्रवृत्तियॉ देने के लिये आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैः–

(1) उपाधि एवं पात्रता की शर्तेः–

उपाधि	पात्रता हेतु अर्हता
अ. शोध उपाधि	आवेदक संबंधित स्नातकोत्तर परीक्षा प्रथम श्रेणी अथवा 60 प्रतिशत अंक के साथ या उसके समतुल्य ग्रेड में उत्तीर्ण तथा संबंधित क्षेत्र में दो वर्ष का अध्यापन/शोध/व्यावसायिक अनुभव / एम.फिल. उपाधि प्राप्त हो।
ब. स्नातकोत्तर	आवेदक स्नातक उपाधि प्रथम श्रेणी अथवा न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक के साथ या उसके समतुल्य ग्रेड में उत्तीर्ण हो।

छात्रवृत्ति केवल स्नातकोत्तर तथा उच्चस्तर की उपाधियों के लिये निम्न विषयों/पाठ्यक्रमों के लिये प्रदान की जावेगी :–

1. इंजीनियरिंग
2. प्योर साईसेंस एवं एप्लाईड साईसेंस
3. एग्रीकल्चर साईसेंस
4. मेडिकल
5. मैनेजमेंट
6. इंटरनेशनल कामर्स एवं एकाउंटिंग फायनांस
7. फारेस्ट्री एवं नेचुरल साईसेंस
8. विधि (लॉ)

(2) चयनित अभ्यर्थियों को विदेश में स्थित संस्थान/यूनिवर्सिटी जिसकी Times/QS World Ranking 500 अथवा उससे कम हो में ही प्रवेश लेना अनिवार्य होगा।

(3) आयुः– आवेदक की आयु आवेदन दिये जाने वाले वर्ष की 1 जनवरी 2017 को 35 वर्ष से कम हो। विशेष प्रकरणों मे समिति द्वारा आयु 10 वर्ष तक शिथिल की जा सकेगी।

(4) आय सीमाः– आवेदक की समस्त स्त्रोतों से कुल वार्षिक आय (माता–पिता तथा अभ्यर्थी स्वयं की पत्नी/पति सहित) राशि रूपये 6.00 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिये। अभ्यर्थियों के चयन में न्यूनतम आय वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जावेगी। इस संबंध में नियोक्ता का प्रमाण पत्र तहसीलदार द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र एवं अद्यतन आयकर निर्धारण की प्रतिलिपि आवेदन के साथ संलग्न करें।

(5) उन्हीं माता–पिता अथवा अभिभावक के एक से अधिक बच्चों को छात्रवृत्ति की पात्रता नहीं होगी। एक अभ्यर्थी को छात्रवृत्ति की पात्रता एक ही बार होगी।

(6) आवेदन पत्र के साथ सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र एवं मूल निवासी का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।

(7) **छात्रवृत्ति की अवधि :–**

1.	पी.एच.डी	2 वर्ष
2.	स्नातकोत्तर उपाधि	2 वर्ष

(8) इसके अतिरिक्त शासकीय गजट में प्रसारित विदेश मे उच्च शिक्षा हेतु नियम दिनांक 15.8.03 एवं समय समय पर किये गये संशोधन की सभी शर्ते अभ्यर्थी को पूर्ण करनी होगी।

(9) शासकीय अथवा शासन के उपक्रमों में सेवारत अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र की अग्रिम प्रति प्रस्तुत कर सकेंगे परन्तु उन्हें आवेदन प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि से एक माह के अंदर नियोक्ता के अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ, नियोक्ता के माध्यम से भी आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा। निर्धारित अवधि के उपरांत प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा।

(10) जिन विषयों पर जिस विदेशी संस्थान में अध्ययन/शोध करना है उसके संबंध में आवेदन पत्र में एवं पात्र पाये जाने पर साक्षात्कार के समय स्पष्ट जानकारी उपलब्ध करावें।

(11) जिन अभ्यर्थियों का चयन योजनान्तर्गत हो चुका है वे आवेदन न करे।

(12) आवेदन पत्र का प्रारूप विभागीय वेबसाइट **scdevelopmentmp.nic.in** पर जाकर डाउनलोड किया जा सकता हैं। आवेदन पत्र पूर्ण कर अभिलेखों के साथ कार्यालयीन समय में स्वतः/रजिस्टर्ड डाक से **दिनांक** 30.06.2018 तक निम्न पते पर भेज सकेंगे।

कार्यालय आयुक्त,
अनुसूचित जाति विकास,
35, राजीव गांधी भवन, श्यामला हिल्स,
भोपाल–462013

आयुक्त
अनुसूचित जाति विकास
मध्यप्रदेश